न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
46/2021	26/08/2021	04/07/2023

सीताराम पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रार्थी

बनाम

1. हरिप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. श्यामलाल पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. बालमुकुन्द पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
4. कमल पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. संती पुत्री प्रहलाद पत्नि पन्नालाल जाति धाकड निवासी तलाव तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
6. प्रेम पुत्री प्रहलाद पत्नि नाथूलाल जाति धाकड निवासी तलाव तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. दुलारी पत्नि स्व. प्रहलाद पत्नि जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. भैरूलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
9. जमनाशंकर पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
10. गीताबाई पुत्री गोपाल पत्नि रमेंशचन्द जाति धाकड निवासी इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
11. प्रतापी पत्नि स्व.गोपाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) में बंदोबस्त संवत 2041–2060 से पूर्व खसरा संख्या 209 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

है। इसी प्रकार यदि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख की आड़ में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को भी अन्यत्र बेचान आदि कर खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जाएंगे जिससे प्रार्थी को अपूरर्णाय क्षति कारित होगी। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन असंभव होगा। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया गया कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में तथा विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1–7 निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाए कि वे स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि, ग्राम जोरावरपुरा की खसरा संख्या 362 रकबा 0.58है0 (हाल खसरा संख्या 362, 497/362, 498/362) प्रार्थी के कब्जे काश्त में तथा उसके उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अन्य रहन, बेचान, दान आदि नहीं करें। अजनबी क्रेता को विवादित भूमि में प्रवेश नहीं कराये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया गया कि बंदोबस्त से पूर्व ख.स. 209 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थीगण के पिता प्रहलाद काबिज काश्त थे और आज भी काबिज काश्त है। नवीन खसरा नम्बर 362 रकबा 0.58है. होना स्वीकार है अप्रार्थीगण 1 ता 7 के पिता व पति प्रहलाद का नाम संयुक्त रुप से पर्चा लगान जारी किया गया। विवादग्रस्त आराजी का 50–50 साल पहले खातेदार भूरिया माली था, भूरिया माली की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री फूमाबाई व उसके पति तुलसीराम नें उक्त भूमि को प्रहलाद, प्रार्थी व गोपाल पुत्र कल्याण को विक्रय किया था, तीनों ने मिलकर उक्त भूमि को खरीद किया था, लेकिन सीताराम पुत्र मथुरालाल गोपाल पुत्र कंवरिया ने उपरोक्त आराजी को चालाकी से अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि खरीदशुदा विवादित आराजी पर तीनों अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काबिज थे। दौराने सेटलमेंन्ट सन 1985 में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 8 लगायत 11 के पिता व पति गोपाल ने सहायक भूप्रबन्धक अधिकारी पीपल्दा के यहा इन्द्राज दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया कि ख.न.209 रकवा 3 बीघा 9 बिस्वा ग्राम जोरावरपुरा की आराजी पर प्रहलाद का नाम छूट गया था, हम तीनों बराबर–बराबर कब्जा व हिस्सा है तीनों का नाम खाते में दर्ज करें प्रार्थना पत्र के साथ गोपाल व सीताराम ने नोटरी से प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र पेश किया और भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 12/08/1985 को आदेष दिया कि वादग्रस्त आराजी ख0स0 362 रकबा 0.58है. पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के पति व पिता प्रहलाद तथा अप्रार्थी क्रम 8 लगायत 11 के पिता व पति गोपाल का नाम खाते में दर्ज हो उक्त आदेश की पालना में विवाग्रस्त आराजी का पर्चा लगान जारी किया गया पर्चा लगान न्यायिक प्रक्रिया व विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया था यदि

र्थी व गोपाल को पर्चा लगान व निर्णय से कोई आपत्ति होती तो
के उस अवधि में पेश करते इनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही
भू-प्रबन्धक अधिकारी के समक्ष कभी नहीं की ओर न ही उक्त निर्णय
की अपील पेश की स्वयं प्रार्थी व गोपाल द्वारा भू-प्रबन्धक अधिकारी
के यहां प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया कि प्रहलाद का नाम गत
बंदोबस्त में छूट गया था, हम तीनों बराबर -बराबर अपने हिस्से पर
गत वर्षो से काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी व गोपाल अपने अभिकथनों से
बाधित है विशेष कथन अवलोकनीय है। प्रहलाद पुत्र मोतीलाल
विवादग्रस्त आराजी का खातेदार था, और विगत 50-60 सालो से
काबिज थे, जिसकी जानकारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 8 ता 11 व उनके
पिता व पति गोपाल को थी अप्रार्थीक्रम 1 ता 7 के पिता व पति
प्रहलाद विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के खाते में दर्ज हुई
कि वह अप्रार्थीगण के अधिकारो को प्रभावित कर खाते से नाम
विलोपित करवाये विशेष कथन अवलोकनीय है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी
क्रम 1 लगायत 11 आपस में मिले हुये है और षडयंत्रपूर्वक इन दोनों
ने दुरभिसंधि कर रखी है अपने उदेश्य की पूर्ति हेतु यह झूठा प्रार्थना
पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया है और अप्रार्थी क्रम 8 ता 11 को पक्षकार
अप्रार्थी बनाया है ताकि प्रार्थी के कथनों की ताईद कर अप्रार्थीगण 1
ता 7 को परेशान किया जा सके विवादित आराजी का आपसी सहमति
से दिनांक 12/02/2013 को प्रहलाद व सीताराम व गोपाल के मध्य
बंटवारा हुआ जांच रिपोर्ट में पटवारी हलका जोरावरपुरा द्वारा मौका
निरीक्षण किया गया मौके पर तीनों का अपने अपने हिस्से की भूमि
पर काबिज होना, काश्त करना किसी प्रकार का विवाद नहीं होना
विभाजन में सहमति होना अंकित किया तथा तीनों द्वारा भी पूरी
सहमति दी गई और तीनों ने विभाजन पर हस्ताक्षर किये और
विवादित आराजी का बंटवारा करवाया गया इसकी प्रार्थी व अप्रार्थी
क्रम 8 ता 11 को पूर्ण जानकारी थी, कि विवादित आराजी में प्रार्थी व
अप्रार्थीगण 1/3-1/3 के खातेदार कृषक है और आपसी सहमति से
बंटवारा सन 2013 में करवाया और तीनों अपने-अपने हिस्से पर
बंटवारे से पूर्व बदोबस्त से पूर्व के बाद अप्रार्थीगण अपने हिस्से व
खाते की भूमि ख0स0 545/362 की 0.09है. व ख0स0 546/362 की
0.07है. पर काबिज काश्त है अप्रार्थी क्रम 8 लगायत 11 का कोई
कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अप्रार्थीगण के हिस्से की
आराजी को अपने नाम दर्ज करावे और उनके कब्जे काश्त में किसी
प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार
प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय से अप्रार्थीगण के हिस्से व बंटवारे में
प्राप्त आराजी जिसका वह खातेदार कृषक है उस पर अस्थायी
निषेधाज्ञा प्राप्त करे। अप्रार्थीगण 50-60 सालों से बटवारे में प्राप्त
भूमि पर काबिज काश्त हैं तथा निरंतर काबिज होकर उसका उपयोग
एवं उपभोग कर रहे है। क्योकि प्रार्थी को पूर्ण जानकारी है कि
विवादित आराजी का बंटवारा दिनांक 12/02/2013 को हो चुका है
और बंटवारे के मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से की
आराजी पर काबिज काश्त है अप्रार्थीगण बंटवारे में प्राप्त ख0न0
545/362 रकबा 0.09है0 ख0स0 546/362 रकबा 0.07है. काबिज है।
प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है कि वह अप्रार्थीगण के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

की आराजी पर न्यायालय श्रीमान से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। कोई प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी का नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ओर न ही अपूरर्णीय क्षति प्रार्थी को होनी है बल्कि प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है वह बंटवारे में प्राप्त आराजी ख0न0 545/362 की रकबा 0.09है. व ख0रा0 546/362 की 0.07है. पर निरंतर काबिज काष्त है उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण विगत 50-60 सालो से काबिज काश्त है। तथा उपरोक्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निशेधाज्ञा जारी कर दी गई तो प्रार्थी-अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में परेशान करेगा तथा अप्रार्थीगण के उपयोग एवं उपभोग में बाधा पहुंचायेगा जिसे अप्रार्थीगण को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पडेगा। जिस कारण अप्रार्थीगण रुपयों पैसों से बर्बाद हो जायेगा। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की निवेदन किया इसी प्रकार वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में उभय पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय करना होता है –

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपरिमित क्षति

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन –</u>

सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट रूप से निर्विवाद है कि प्रहलाद पुत्र मोतीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा ही दर्ज किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रहलाद नाम खाते में कानूनी रूप से आया है। उल्टे अप्रार्थी द्वारा भी सेटलमेंन्ट अधिकारियों को प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के आधार पर सेटलमेंन्ट अधिकारी द्वारा आदेश भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 12/08/1985 को प्रहलाद को खातेदार दर्ज करने का आदेश जारी करना बताया गया है। इस प्रकार प्रहलाद का नाम सेटलमेंन्ट द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज होना साबित है। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व अप्राथीगण द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर वर्ष 2013 में सहमति से बंटवारा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

..ा लिया गया था। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ..तेदारी को चैलेन्ज करने से प्रार्थी स्टोप्ड है। किन्तु इस न्यायालय ..विनम्र मत से किसी अवैध इन्द्राज को कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं ..या जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम ..दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

..परिमित क्षति

प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में ..पक्ष होने से तथा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 का वादग्रस्त कृषि ..नाराजी में कोई हित नहीं होने से स्पष्ट है कि यदि मूल वाद के ..निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की गई तो अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को विवादित भूमि के उपयोग–उपभोग करने में बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने में सफल हो जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन असम्भव होगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि, ग्राम जोरावरपुरा की खसरा संख्या 362 रकबा 0.58है0 (हाल खसरा संख्या 362, 497/362, 498/362) भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 8 लगायत 11 के शांतिपूर्वक उपयोग – उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अन्य रहन, बेचान, दान आदि नहीं करें। निर्णय खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा